मध्यान्ह भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0
तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं0–0522–6666192
फोन नं0–0522–6666162, 63

Email : lkomdm@gmail.com
Website : www.upmdm.org

पत्रांक : म0भो0प्रा0 / C-1024 / 2015–16 दिनाँक 22 अप्रैल, 2015

सेवा में,

1. **आयुक्त,**
   खाद्य एवं रसद विभाग,
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. **प्रबन्ध निदेशक,**
   राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम,
   उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः स्वयं सेवी संस्थाओं को उठान एजेन्सी मानते हुए उन्हें परिवहन लागत/हैण्डलिंग चार्जेस का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्राधिकरण स्तर पर आहूत समीक्षा बैठकों में संज्ञानित हुआ है कि कतिपय जनपदों में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत खाद्यान्न का उठान किया जा रहा है, परन्तु उनके द्वारा उठाये गये खाद्यान्न के ढुलाई भाड़े का भुगतान बाधित है।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइड लाइन वर्ष 2004 के अनुरूप शासन से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी प्राधिकरण के पत्र सी0–987 दिनांक 29 जून, 2010 (संलग्नक–1) के प्रस्तर–4 में उल्लिखित है कि जिन जनपदों में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा योजनान्तर्गत खाद्यान्न का उठान जिलाधिकारी की लिखित अनुमति के उपरान्त सीधे एफ0सी0आई0 गोदाम से किया जा रहा है, उनके परिवहन विपत्र स्वयं सेवी संस्था द्वारा स्वयं प्रस्तुत किये जायेंगे तथा उन्हें प्रस्तर–6 वर्णित व्यवस्था के अनुसार वास्तविक व्यय अथवा रू0 75 प्रति कुन्तल, जो भी न्यूनतम हो, देय होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करना है कि यदि स्वयं सेवी संस्था द्वारा योजनान्तर्गत खाद्यान्न का उठान जिलाधिकारी की लिखित अनुमति के उपरान्त उठान एजेन्सियों के गोदामों से किया जाता है, तो उक्त स्थिति में खाद्य विभाग के शासनादेश संख्याः 578(1)/29–6–12–9(26)/90 टी0सी0 दिनांक 16.04.2012 (संलग्नक–2) में वर्णित उचित दर दुकानदारों को अनुमन्य लाभांश की भांति स्वयं सेवी संस्थाओं को भी उक्त लाभांश उठान एजेन्सी द्वारा प्रदान किया जाय।

कृपया उपरोक्त से अवगत होते हुए मध्यान्ह भोजन योजना में कार्यरत स्वयं संवी संस्थाओं के परिवहन देयकों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त्।

भवदीया,

(श्रद्धा मिश्रा)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त **जिलाधिकारी**, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त **मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0)**, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त **जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी**, उत्तर प्रदेश।

(श्रद्धा मिश्रा)
निदेशक